



हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेसियों ने दी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि (संवाददाता) देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कांग्रेसजनों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये तथा उनके द्वारा देश के लिये किये गये बलिदान को याद करते हुये सम्पूर्ण समाज को उनके उनके बाताये मार्ग पर चलने का अवाह किया। इससे पूर्व कांग्रेसजनों ने महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में इन्दिरा मार्केट स्थित इन्दिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

फिक्की पलो की ओर से कार्यशाला आयोजित (संवाददाता) देहरादून। कानून और वकालत समिति के तत्वावधान में, फिक्की पलो उत्तराखंड और एमिक्स लॉ फर्म के सहयोग से नागरिक और आपराधिक कानूनों पर एक मास्टर क्लास आयोजित की गई जिसमें वरिष्ठ वकील कंवलजीत सिंह द्वारा महिलाओं को मौका दिया गया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधिकारों को जानें। कंवलजीत सिंह देहरादून के कई स्कूलों के वकील हैं, जिनमें दून स्कूल, वेल्हाम्स, सेंट जोसेफ्स एकेडमी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय और कई दूतावास शामिल हैं।

दून-ऋषिकेश व हरिद्वार को मिनी मेट्रो से जोड़ा जायेगा (संवाददाता) देहरादून। दून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में जुटी सरकार ने साफ कर दिया है कि दून में मेट्रो नहीं चलेगी हां देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को मिनी मेट्रो से जरूर जोड़ा जायेगा। दून में रोपवे की व्यवस्था पर सरकार फैसला ले चुकी है। शहरी विकास मंत्री मदन कोशिक का कहना है कि दून में मेट्रो चलाने का काम नहीं किया जायेगा।

दून समेत पांच शहर 2020 तक होंगे प्लास्टिक कचरे से मुक्त

योजना

(संवाददाता)

देहरादून। उत्तराखंड के पांच शहर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी 2020 तक प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण में यह जानकारी दी गई।

शहरी विकास विभाग की ओर से बताया गया कि 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने संबंधी शासनादेश के अनुपालन में सख्ती से कदम बढ़ाए गए हैं। नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लास्टिक और थर्माकोल से बने पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और पीसीबी द्वारा की जा रही नियमावली तैयार

प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रकार की बनाई जा रही सूची



उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रकार की सूची भी बनाई जा रही है। इस अवसर पर ये भी बताया गया कि सिंगल सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में व्यापारिक संगठनों, स्कूलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार का क्रम जारी है।

प्लास्टिक कांपैक्टर को धनराशि जारी: प्रस्तुतीकरण के दौरान

जानकारी दी गई कि देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में प्लास्टिक कांपैक्टर के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, जबकि मसूरी में कांपैक्टर उपलब्ध है। नैनीताल से एकत्रित प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग हल्द्वानी में होगी। 58.13 लाख की वसूली प्लास्टिक पर प्रतिबंध के मद्देनजर प्रथम चरण में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी में अक्टूबर तक तय प्रावधानों के तहत 4947 लोगों के

चालान किए गए। इनसे 58.13 लाख रुपये की वसूली की गई। जानकारी दी गई कि 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक चलाए गए श्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान 35.76 मी.टन प्लास्टिक इकट्ठा किया गया और 13.88 मी.टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया गया। साढ़े सात लाख का अर्थदंड: प्रस्तुतीकरण के जरिये जानकारी दी गई कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और धूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत अब तक 1560 चालान किए गए। इनमें 7.57 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। हरिद्वार में भी प्लास्टिक से ईंधन बैठक में जानकारी दी गई कि हरिद्वार में भी प्लास्टिक से ईंधन बनाने की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि देहरादून में प्लास्टिक से ईंधन बनाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव चंद्रेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

औली स्कीइंग स्लोप के होमोलोगेशन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया

(संवाददाता) देहरादून। आगामी वर्ष 2020 में औली में प्रस्तावित एफ. आई. एस. स्कीइंग रेस के आयोजन की तैयारियों के क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय स्कींग फेडरेशन के चीफ इंस्पेक्टर जेराड बर्नाड द्वारा औली स्कीइंग स्लोप के होमोलोगेशन हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रोप वे से पूरे स्कीइंग स्लोप का हवाई निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने कतिपय सुझावों के साथ उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्लोप के रखरखाव हेतु किए जा रहे कार्यो पर संतोष व्यक्त किया। बर्नाड ने स्लोप में उभर रहे पथरों तथा ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्लोप पर किसी भी प्रकार के वाहनों का संचालन तुरंत बंद किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने संवेदनशील क्षेत्र में एक सुरक्षा दीवार के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। एफ आई एस विशेषज्ञ ने यह सुझाव दिया कि एक सफल रेस को आयोजन हेतु उत्तराखंड सरकार को एक टीम गठित कर यूरोप में होने वाली स्कीइंग प्रतियोगिता को देखने के लिए भेजा जा सकता है।

डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को भेजने के लिए निर्देश

(संवाददाता) देहरादून। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ० धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कक्ष में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विद्यालय भवन, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक आदि निर्माणाधीन एवं नये प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में बैठक ली।

बैठक में निर्देश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विद्यालय भवन, आई.टी.आई पॉलिटेक्निक आदि निर्माणाधीन एवं नये प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजा जाय। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और दून के लिए 47 करोड़ रुपये अवमुक्त किये हैं।

भांग की खेती हटते ही अध्यादेश को हरी झंडी

मंजूरी

■ आखिरकार छह महीने बाद ये अध्यादेश लागू हो गया

देहरादून। (संवाददाता)

आखिरकार प्रदेश में भांग की खेती को अनुमति देने के फैसले से सरकार के कदम पीछे खींचते ही उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन अध्यादेश अस्तित्व में आ गया। राजभवन ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आखिरकार छह महीने बाद ये अध्यादेश लागू हो गया।

राजभवन ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी

इस अध्यादेश में प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, पर्यटन आदि सेक्टर में औद्योगिक उपयोग के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने या लीज पर देने को संबंधित एक्ट में संशोधन किया गया। इस अध्यादेश की धारा 156 में बागवानी, कृषि, पशुपालन आदि के लिए जमीन को 30 वर्ष के लिए लीज देने के प्रावधान का विस्तार कर इसमें सौर ऊर्जा और भांग की खेती को भी शामिल किया गया है। अब राजभवन ने उक्त अध्यादेश पर मुहर लगा दी है।

दरअसल, इस अध्यादेश में भांग की खेती का प्रावधान जोड़े जाने के बाद इसे लेकर असमंजस गहरा गया था।

मंत्रिमंडल ने बीती चार जून को बैठक कर प्रदेश में उद्योगों

को बढ़ावा देने को 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि खरीदने या लीज पर देने की राह तैयार की थी।

बाद में राजभवन से अध्यादेश को मंगाकर उसमें औषधीय उपयोग के लिए भांग

की खेती के प्रावधान को जोड़ दिया गया।

इस प्रावधान के बाद राजभवन भी अध्यादेश को मंजूरी देने में ठिठका रहा। अब बीती 13 नवंबर को मंत्रिमंडल ने उक्त अध्यादेश से भांग की खेती को अनुमति देने का प्रावधान समाप्त करने का निर्णय लिया।

इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा, चाय बागान प्रसंस्करण, कृषि आदि को उक्त अध्यादेश का अंग बनाया गया है। उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन के तहत कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन में 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जा सकेगा।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+



Read News
Watch News Channel

Scan This Code



भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर राज जायसवाल एवं फिल्म निर्देशक आदित्य चौबे ने सीएम से की भेंट

(संवाददाता) देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर राज जायसवाल एवं फिल्म निर्देशक आदित्य चौबे ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्री जायसवाल ने बताया कि 11 दिसंबर से उत्तराखण्ड की विभिन्न लोकेशन में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सुन्दरता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है। यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हैं। फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे यहां प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। जिसके माध्यम से औसतन 3-4 दिनों में सभी तरह की क्लीयरेंस दे दी जाती हैं। इस अवसर पर उत्तराखण्ड की फिल्मों के निर्देशक देबू रावत भी उपस्थित थे।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित (संवाददाता) देहरादून। मैक्स हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट ने सीओपीडी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स, 74/9, आराध, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN200515735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।